



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102020-222139
CG-DL-E-01102020-222139

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3028]
No. 3028]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2020/आश्विन 8, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2020/ASVINA 8, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2020

का.आ. 3398(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. २२६६ (इ), दिनांक ०७/०७/२०२०, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले में भावनगर - वेरावल NH51 के कि.मी. 222.4 से कि.मी.263.18 (कोडिनार-वेरावल सेक्शन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "२९/०७/२०२०" को "इंडियन एक्सप्रेस" और "दिव्या भास्कर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले में भावनगर -वेरावल NH51 के कि.मी. 222.4 से कि.मी.263.18 (कोडिनार-वेरावल सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना भूमि का संक्षिप्त रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: गिर सोमनाथ			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: सूत्रपदा				
	गांव का नाम: प्रांसली				
1	536/P2/P2 plot no.1	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0047	प्रभातसिंह प्रतापभाई परमार (५३६ / पैकी २ / पैकी २ प्लॉट नं. १)
2	536/P2/P2 plot no.2	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0208	प्रभातसिंह प्रतापभाई परमार (५३६ / पैकी २ / पैकी २ प्लॉट नं २)
3	536/P2/P2 plot no.3	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.1051	प्रभातसिंह प्रतापभाई परमार (५३६ / पैकी २ / पैकी २ प्लॉट नं ३)
4	536/P2/P2 Road Paiki 7.50 mtr.	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0183	प्रभातसिंह प्रतापभाई परमार (५३६ / पैकी २/पैकी २ रोड पैकी ७.५० मीटर)
			कुल	0.1489	

[फा. सं. NHAI/11011/Gujarat/Rajkot/LA/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2020

S.O. 3398(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, SO No.2266 (E), dated 07/07/2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956)

(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of **Bhavnagar-Veraval NH51 on the stretch of land from Km 222.4 to Km 263.18 (Kodinar-Veraval Section) in the district of GIR SOMNATH in the state of GUJARAT**

And whereas the substance of the said notification has been published in “Indian Express” and “Divya Bhaskar” both dated 29/07/2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no any objections are received by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Bhavnagar-Veraval NH51 in the stretch of land from NH51 (Kodinar-Veraval Section) in the district of GIR SOMNATH in the state of GUJARAT.

State: GUJARAT		District: GIR SOMNATH			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Sutrapada				
	Viilage: Pransali				
1	536/P2/P2 plot no.1	Private	Non-Agriculture	0.0047	Prabhatsinh Pratapbhai Parmar 536/P2/P2 Plot no.1
2	536/P2/P2 plot no.2	Private	Non-Agriculture	0.0208	Prabhatsinh Pratapbhai Parmar 536/P2/P2 Plot no.2
3	536/P2/P2 plot no.3	Private	Non-Agriculture	0.1051	Prabhatsinh Pratapbhai Parmar 536/P2/P2 Plot no.3
4	536/P2/P2 Road Paiki 7.50 mtr.	Private	Non-Agriculture	0.0183	Prabhatsinh Pratapbhai Parmar 536/P2/P2 Road Paiki 7.50 mtr.
			TOTAL	0.1489	

[F. No. NHAI/11011/Gujarat/Rajkot/LA/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.